B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)

B.A (Hons) part – II पेपर – III

Date 21.9.20

Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol. Sc

मुख्यमंत्री का अपने सहयोगियों के प्रति अधिकार तथा कार्य

मुख्यमंत्री के सहयोगियों से मतलब है मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों से। जिस तरह से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री निर्माता और सहारकर्ता है और ठीक उसी भाँति मुख्यमंत्री भी राज्य के मंत्रिपरिषद का निर्माण और संहार कर सकता है।

मुख्यमंत्री के हटने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अतः मुख्यमंत्री जब तक मंत्रिपरिषद में बना रहता है, तबतक मंत्रिपरिषद जीवित रहती है और उसके हटते ही उस मंत्रिपरिषद की मरण की घंटी बज जाती है। मुख्यमंत्री ऐसे किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है जो मंत्री उसके विचारों का समर्थन नहीं करता है। उसको वह पद-त्याग करने पर विवश भी कर सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में तानाशाह की तरह काम करता है। मंत्रिपरिषद के मंत्री उसके नौकर नहीं होते, वे तो उसके सहयोगी है उनका भी अपना अलग-अलग व्यक्तित्व रहता है। इसके अतिरिक्त वे लोग भी तो अपने दल के ख्याति-प्राप्त सदस्य रहते है। इसलिए मुख्यमंत्री उन पर अपनी तानाशाही स्थापित करने के पहले कुछ सोचता है। अतः उसको उनकी बातों और उनके स्थान का भी ध्यान रखना पड़ता है।

अन्त में हम यह कह सकते है कि मुख्यमंत्री राज्यरूपी जहाज के निर्देशन-चक्र का चालक होता है। संक्षेप मे, प्रत्येक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक है।

Scanned with CamScanner